

राजस्व आवेदन संख्या 274/2024  
उनवान गोरधनराम(गोरखाराम)बनाम केसाराम वगैरा

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस)

राजस्व आवेदन सं. 274/2024

अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

प्रार्थीनी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. गोरधनराम (गोरखाराम) पुत्र हरजीराम जाति जाट, निवासी सियोलो का डेर, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।		1. केसाराम पुत्र धरमा 2. केसी पुत्री नानगाराम 3. गुणेशाराम पुत्र धरमा 4. गोमाराम पुत्र नानगाराम 5. जमना पत्नी आदुराम 6. तारोंदेवी पत्नी हरजीराम 7. पुनमाराम पुत्र नानगाराम 8. भीखी पुत्री आदुराम 9. रामलाल पुत्र आसुराम 10. सुखराम पुत्र हरजीराम 11. सोनाराम पुत्र धरमा 12. हड्डुमानराम पुत्र धरमा 13. हरचन्द्रराम पुत्र नानगाराम 14. आदुराम पुत्र वगताराम 15. ओमप्रकाश पुत्र आसुराम जाति जाट, निवासी सियोलो का डेर, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर 16. एस.बी.आई बैंक शाखा बामडला 17. भूमि विकास बैंक शाखा प्रबंधक धोरीमन्ना 18. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सेड़वा

उपस्थित : प्रार्थी वकील - श्री आईदानराम गोदारा, श्री मेहराराम सारण

विप्रार्थीगण वकील:- श्री ज्येष्ठ कुमार

-: निर्णय :-

दिनांक:-16.06.2025

प्रार्थी गोरधनराम (गोरखाराम) पुत्र हरजीराम जातियान जाट निवासी सियोलो का डेर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षेप मे सार इस प्रकार है कि "सरहद मौजा पावडो की ढाणी, पटवार क्षेत्र बामडला भू-अभिलेख क्षेत्र बामडला, तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में प्रार्थी के खातेदारी कब्जाकाशत का खेत खसरा संख्या 23 रकबा 0.0728 हैक्टेयर किस्म गै.मू. ढाणी, खसरा संख्या 24 रकबा 12.6666 हैक्टेयर, खसरा संख्या 34 रकबा 0.1781 हैक्टेयर, खसरा संख्या 46 रकबा 2.5981 हैक्टेयर, खसरा संख्या 575 रकबा 4.9453 हैक्टेयर व मौजा सियोलो का डेर पटवार क्षेत्र बामडला भू-अभिलेख क्षेत्र वामडला, तहसील सेड़वा में खसरा संख्या 577 रकबा 16.0498 हैक्टेयर व खसरा संख्या 33 रकबा 32.5852 हैक्टेयर किस्म बा.सो. के आये हुऐ है। उक्त आराजी में प्रार्थी स्वयं का गोरधनराम दर्ज करना था जो रैकर्ड तज्वीज करते वक्त हल्का पटवारी व राजस्व एजेन्सी ने लिपिकीय भूल से प्रार्थी स्वयं का नाम गोरधनराम की जगह गोरखाराम दर्ज कर



राजस्व आवेदन संख्या 274/2024

उनवान गोरधनराम(गोरखाराम)बनाम केसाराम वगैरा

दिया, जो लिपिकीय भूल से गलत दर्ज कर दिया है, प्रार्थी स्वयं का नाम गोरखाराम कभी नहीं रहा है प्रार्थी स्वयं का वास्तविक नाम गोरधनराम ही है जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, जनआधार इत्यादि लेकिन राजस्व रैकॉर्ड में लिपिकीय भूल से गलत नाम लिख देने से मैं प्रार्थी उक्त लिपिकीय भूल को दुरुस्त करवाने का हकदान होने से प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी स्वयं का नाम गोरधनराम की जगह गोरखाराम दर्ज कर देने से प्रार्थी को हर जगह तरह-तरह की उलझने पैदा होती है जिससे प्रार्थी को केसीसी कार्ड लेने, पीएम किसान बीमा योजना का फायदा लेने, गिरदावरी लगान इत्यादि में हर जगह उक्त लिपिकीय त्रुटि से दुविधा पैदा होती है जिससे मैं प्रार्थी रैकॉर्ड दुरुस्ती करवाने का हकदार होने से प्रार्थना पत्र पेश है उक्त रैकॉर्ड दुरुस्ती करने से नहीं राज्य सरकार के हितों पर कोई प्रभाव पड़ता है न ही उक्त खसरो के सहखातेदार के हिस्सों में कोई प्रभाव पड़ेगा, ऐसी सुरत में उक्त लिपिकीय त्रुटि को दुरुस्त करना न्यायसंगत है तथा प्रार्थी स्वयं के आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, जनआधार में प्रार्थी का नाम गोरधनराम ही है। उक्त लिपिकीय भूल की हमें कतई जानकारी नहीं रही तथा न ही हमने कभी रैकॉर्ड का पठन करवाया। अभी केसीसी करवाने गये व जमाबंदी की नकलें इत्यादि ली तो ज्ञात हुआ कि हमारे खाते में उक्तानुसार लिपिकीय त्रुटि रह गई हैं जिससे मैं उक्त त्रुटि को दुरुस्त करवाने का हकदार होने से एवं उक्तानुसार दुरुस्ती किये जाने योग्य होने से प्रार्थनापत्र पेश है। मौजा पावड़ो की ढाणी, पटवार क्षेत्र बामड़ला भू-अभिलेख क्षेत्र बामड़ला, तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में प्रार्थी के खातेदारी कब्जाकाश्त का खेत खसरा संख्या 23 रकबा 0.0728 हैक्टेयर किस्म गै.मू. ढाणी, खसरा संख्या 24 रकबा 12.6666 हैक्टेयर, खसरा संख्या 34 रकबा 0.1781 हैक्टेयर, खसरा संख्या 46 रकबा 2.5981 हैक्टेयर, खसरा संख्या 575 रकबा 4.9453 हैक्टेयर व मौजा सियोलो का डेर पटवार क्षेत्र बामड़ला भू-अभिलेख क्षेत्र बामड़ला, तहसील सेड़वा में खसरा संख्या 577 रकबा 16.0498 हैक्टेयर व खसरा संख्या 33 रकबा 32.5852 हैक्टेयर किस्म बा.सो. आराजी में गलत नाम से की गई लिपिकीय त्रुटि को दुरुस्त कर गोरखाराम की जगह पर गोरधनराम को राजस्व रैकॉर्ड में दर्ज कर गोरखाराम को दुरुस्त करने का आदेश

तहसीलदार सेड़वा के नाम जारी फरमावे।”



उपखण्ड अधिकारी  
(SDO) सेड़वा

राजस्व आवेदन संख्या 274/2024  
उनवान गोरधनराम(गोरखाराम)बनाम केसाराम वगैरा

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस तलब किए। विप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री ज्येष्ठ कुमार ने वकालतनामा पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। इस संबंध में न्यायालय के पत्रांक/रीडर/2025/166 दिनांक 19.02.2025 द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में तहसीलदार सेड़वा को मौका/तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु लिखा गया, जो कि उनके कार्यालय पत्रांक/भूअ./2025/119 दिनांक 23.04.2025 द्वारा प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन " राजस्व रेकॉर्ड में भूमि ग्राम सियोलो का डेर एवम् पावड़ो की ढाणी सम्बन्धित जमाबंदी चौसाला के खसरा संख्या कमशः 577, 33, 23, 24, 34, 46, 575 जमाबंदी में अंकित नाम गोरखाराम पुत्र हरजीराम कौम जाट कि जांच करने पर प्रार्थी गोरखाराम का नाम राजस्व रेकॉर्ड में उसके पिता के देहान्त के बाद जरिये नामान्तरण संख्या 301 स्वीकृत दिनांक 20.01.2011 अनुसार दायर किया गया। गोरखाराम नाम लोकल नाम होने के कारण लिपिकीय त्रुटि से दर्ज किया गया। जबकि प्रार्थी गोरखाराम का वास्तविक नाम दस्तावेज अनुसार जैसे अंकतालिका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर कक्षा 10 व 12 एवं बी.ए. जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, एवं अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि में गोरधनराम पुत्र हरजीराम दर्ज है प्रार्थी के दस्तावेज अनुसार एवं मजमे आम उपस्थित मोतबरान के कहे अनुसार गोरखाराम के स्थान पर गोरधनराम पुत्र हरजीराम करने पर सहमति प्रदान कि गई। फर्द मौका मौके पर तैयार कर पढकर सुनाई गयी एवं उपस्थित मोतबरान के हस्ताक्षर करवाये गये। जो फर्द का अभिन्न अंग है।"

वकील उभयपक्षकारान् उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर उभयपक्षकारान् अधिवक्ता ने बहस की। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थचित्त से मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिन्तन, मनन तथा विचारण उपरांत, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 274/2024 उनवान गोरधनराम(गोरखाराम) बनाम केसाराम वगैरा अन्तर्गत

द्वारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।



उपखण्ड अधिकारी  
(SDO) सेड़वा

राजस्व आवेदन संख्या 274/2024  
उनवान गोरधनराम(गोरखाराम)बनाम केसाराम वगैरा

अतः मुताबिक तहसीलदार सेड़वा के कार्यालय पत्र क्रमांक: भू.अ./2025/119 दिनांक 23.04.2025 द्वारा प्राप्त तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन प्रार्थी गोरधनराम(गोरखाराम) पुत्र हरजीराम जाति जाट निवासी सियोलों का डेर, तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी खेत मौजा पावड़ो की ढाणी, पटवार क्षेत्र बामड़ला भू-अभिलेख क्षेत्र बामड़ला, तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में प्रार्थी के खातेदारी कब्जाकाशत का खेत खसरा संख्या 23 रकबा 0.0728 हैक्टेयर किस्म गै.मु.ढाणी, खसरा संख्या 24 रकबा 12.6666 हैक्टेयर, खसरा संख्या 34 रकबा 0.1781 हैक्टेयर, खसरा संख्या 46 रकबा 2.5981 हैक्टेयर, खसरा संख्या 575 रकबा 4.9453 हैक्टेयर व मौजा सियोलो का डेर पटवार क्षेत्र बामड़ला भू-अभिलेख क्षेत्र बामड़ला, तहसील सेड़वा में खसरा संख्या 577 रकबा 16.0498 हैक्टेयर व खसरा संख्या 33 रकबा 32.5852 हैक्टेयर किस्म बा.सो. भूमि में प्रार्थी का नाम गोरखाराम के स्थान पर गोरधनराम करने का आदेश तहसीलदार सेड़वा को दिया जाता है, तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नाम को दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन(पत्रांक: भू.अ./2025/119 दिनांक 23.04.2025 के संलग्न मौका जांच प्रतिवेदन दिनांक 17.04.2025 व जमाबंदी अभिलेख आदि) निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि वह इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें। तहरीर जारी हो। पत्रावली संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.06.2025 को खुले इजलास में सुनाया गया।



(बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा  
(SDO) सेड़वा

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा बाड़मेर

क्रमांक / भू.अ. / 2025 / 119

दिनांक:- 23/4/2025

प्रेषित:-

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय  
सेड़वा (जिला- बाड़मेर)

विषय:- राजस्व वाद संख्या 274/2024 अन्तर्गत धारा 136 में नाम दुरस्ती रिपोर्ट भेजने बाबत।  
महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आप द्वारा राजस्व वाद संख्या 274/2024 में मौजा सियोलो का डेर व पावडो की ढाणी के खसरा नम्बर क्रमशः- 577, 33, 23, 24, 34, 46, 575 में अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR ACT में नाम दुरस्ती हेतु तथ्यात्मक रिपोर्ट आप द्वारा चाही थी। जिसकी भू.अ. निरीक्षक बामरला द्वारा दिनांक 17.04.2025 को मौका जांचकर वादी प्रतिवादी व पडोशियों मौतबरानों सहखातेदारों के रूबरू जांच करने पर गोरखाराम के स्थान पर गोरधनराम नाम पाया गया जिसकी रिपोर्ट तैयार कर श्रीमान पेश गई। जो इस पत्र के सलंगन आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जा रही है।

सलंगन:- उपरोक्तानुसार

भवदीय

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

Signature Not-Verified

Digitally signed by Bhuendra  
Kumar  
Designation : Tehsildar  
Date: 2025.04.23 15:56:01 IST  
Reason: Approved



पुर्न मौका

आज दिनांक 17/4/25 श्रीमान उपखण्ड अधिकारी सेइवा के राजकव  
वाद सं. 274/2024 निर्णय दिनांक 13/2/25 स्वम् श्रीमान सहस्रीलदार सेइवा के  
आदेश / कमांड / मु. सं. / 13/27.3.25 कि पालना मे गण सिमोलो का डेट  
स्वम् पावडा कि रागी खेत जमाबंदी चौखाना के खसरा न. क्रमशः 577,  
33, 23, 24, 34, 46, 575 जमाबंदी खाता न. मे अंडित नाम  
गोरखाराम पुत्र ~~सुखराम~~ ~~हरजीराम~~ जाट कि जांच करे हउका पहचारी नामइला  
के साथ मौके पर पहुंचा।


प्राथी गोरखाराम का नाम राजकव रेकड मे उलडे पिता के  
देखान के बाद जरिमे नामान्तरण संख्या 301 रुबीकड दिनांक 20.01.11 अनुया  
दाखल किया गया। गोरखाराम नाम लोकल नाम होने के कारण लिपिकिम भू.  
से दर्ज किया गया।


जबकि प्राथी गोरखाराम का वास्तविक नाम दत्तात्रेय अनुयात  
जैसे :- अंकगालिका माध्यमिड क्लिमा बोर्ड अजमेर कक्षा 10 व 12 स्वम्  
B.A. जय नारायण व्यास विधुविद्यालय जोधपूर, स्वम् अन्य दत्तात्रेय  
आधार-कार्ड, राशन-कार्ड, इत्यादि मे गोरखाराम पुत्र हरजीराम दर्ज.

प्राथी के दत्तात्रेय अनुयात स्वम् मजमे ज्ञान उपस्थित मौतक  
के कडे अनुयात गोरखाराम के स्थान पर गोरखाराम पुत्र हरजीराम  
करे पर सहमति पदान कि गयो।

पुर्न मौका मौके पर तैयार डल पडडल सुनाई गयो  
स्वम् उपस्थित मौतगरान के हस्ताक्षर करवाये गये।

अधिकारी  
सुखराम  
(सुखराम/हरजीराम)

  
17/4/2025  
पलकरी नामइला


  
17/04/2025  
ILR नामइला




गोरखाराम



अनुराम



रामराम

  
सहस्रीलदार (पु.अ.) सेइवा